रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/97 REGD. NO. D. L.-33004/97

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 622] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 7, 1997/कार्तिक 16, 1919
No. 622] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 7, 1997/KARTIKA 16, 1919

## खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 1997

**का.आ. 766 (अ).**—केंद्र सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन चैम्बर ऑफ कामर्स, हापुड़ द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिए आवेदन पर वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में भी होगा, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा-6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त चैम्बर को गुड़ में अग्रिम संविदाओं के बारे में 1 अप्रैल 1998 से 31 मार्च, 2000 तक की अवधि के लिए मान्यता प्रदान करती है ।

2. एतद्द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अध्याधीन है कि उक्त चैम्बर ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जाएं।

[मि. सं. 12(10)/आई.टी./96]

कमल किशोर, आर्थिक सलाहकार

## MINISTRY OF FOOD & CONSUMER AFFAIRS

**(Department of Consumer Affairs)**

### NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 1997

**S.O. 766(E).**—The Central Government, having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for renewal of recognition, made under Section 5 of the Foreward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), by the Chamber of Commerce, Hapur and being satisfied that it woud be in the interest of the trade and also in public interest so to do, hereby grants in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said Chamber for a further period from 1st April, 1998 to 31st March, 2000 in respect of forward contracts in Gur.

2. The recognition hereby granted in subject to the condition that the said Chamber shall comply with such directions as may. from time to time be given by the Forward Markets Commission.

[File No. 12/(10)/IT/96]

KAMAL KISHORE, Economic Adviser

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 1997

**का.आ. 767 (अ).**—केंद्र सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन चैम्बर ऑफ कामर्स, हापुड़ द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिए आवेदन पर वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में भी होगा, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त चैम्बर को आलू में अग्रिम संविदाओं के बारे में 1 अप्रैल 1998 से 31 मार्च, 2000 तक की अवधि के लिए मान्यता प्रदान करती है ।

2. एतद्द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अध्याधीन है कि उक्त चैम्बर ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जाएं।

[फा. सं. 12 (10) टी./96]

कमल किशोर, आर्थिक सलाहकार

## NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 1997

**S.O. 767(E).**—The Central Government, having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for renewal of recognition, made under Section 5 of the Foreward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), by the Chamber of Commerce, Hapur and being satisfied that it woud be in the interest of the trade and also in public interest so to do, hereby grants in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said Chamber for a further period from 1st April, 1998 to 31st March, 2000 in respect of forward contracts in Potatoes.

2. The recognition hereby granted in subject to the condition that the said Chamber shall comply with such directions as may, from time to time be given by the Forward Markets Commission.

[File No. 12/(10)/IT/96]

KAMAL KISHORE, Economic Adviser

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997